संख्या- 1503/77-6-15-एल.सी.135/2015

प्रेषक,

आलोक रंजन,
मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1-समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
2-आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग उ0प्र0।
3-समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।

औद्योगिक विकास अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक : 03 अक्टूबर, 2015

विषय- कारपोरेट सोशल रिस्पोन्सिबिल्टी (सी.एस.आर.) के सम्बन्ध में।

महोदय,

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा -135 में कारपोरेट सोसल रेस्पांसबिलिटी (सी.एस. आर.) के सम्बंध में व्यवस्था दी गयी है कि प्रत्येक वह कम्पनी जिसका नेटवर्थ रू. 500 करोड़ या उससे अधिक है अथवा टर्नओवर रू. 1000 करोड़ अथवा अधिक है अथवा नेट प्राफिट रू. 5.00 करोड़ अथवा अधिक है, में निदेशक मण्डल की कारपोरेट सोसल रेस्पांसबिलिटी (सी.एस. आर.) कमेटी गठित होगी। उक्त समिति द्वारा कम्पनी/ सार्वजनिक उपक्रम के लिए कारपोरेट सोसल रेस्पांसबिलिटी (सी.एस.आर.) पालिसी तैयार करनी होगी और शैड्यूल-7 में इंगित कार्यकलापों हेतु धनराशि व्यय करने की संस्तुति तथा उपरोक्त कारपोरेट सोसल रेस्पांसबिलिटी (सी.एस.आर.) के अनुश्रवण का कार्य करेंगी।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-135 (5) में यह भी व्यवस्था है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, गत तीन वर्षो के औसत शुद्ध लाभ का कम से कम 2 प्रतिशत कारपोरेट सोसल रेस्पांसबिलिटी (सी.एस.आर.) पालिसी में इंगित कार्यकलापों के सम्पादन में व्यय करना होगा। साथ ही कार्यकलापों के सम्पादन हेतु कम्पनी/ सार्वजनिक उपक्रम के स्थानीय कार्य क्षेत्र को वरीयता दिये जाने का भी प्राविधान है। इस कार्य के विनियमन हेतु The Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Rules, 2014 भी प्रख्यापित किया गया है।

उक्त प्राविधानों के अनुसार उत्तर प्रदेश में स्थापित प्रत्येक कम्पनी/ सार्वजनिक उपक्रम जिसका नेटवर्थ रू. 500 करोड़ या उससे अधिक है अथवा टर्नओवर रू. 1000 करोड़ अथवा अधिक है

Scanned with CamScanner

अथवा नेट प्राफिट रू. 5.00 करोड़ अथवा अधिक है, में निदेशक मण्डल द्वारा गठित कारपोरेट सोसल रेस्पांसबिलिटी (सी.एस.आर.) समिति का कार्यदायित्व एवं कार्यक्षेत्र निम्नवत् होगा :-

1- समिति द्वारा कम्पनी/ सार्वजनिक उपक्रम के लिए कारपोरेट सोसल रेस्पांसबिलिटी (सी. एस.आर.) पालिसी तैयार करनी होगी।

2- कम्पनी एक्ट 2013 के अनुसूची-7 में इंगित कार्यकलापों हेतु समिति धनराशि व्यय करने की संस्तुति करेगी।

3- कारपोरेट सोसल रेस्पांसबिलिटी (सी.एस.आर.) के क्रियाकलापों के अनुश्रवण का कार्य करेगी।

4- प्रत्येक पात्र कम्पनी/ सार्वजनिक उपक्रम को धारा-135 (5) में निहित व्यवस्था के अन्तर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, गत तीन वर्षो के औसत शुद्ध लाभ का कम से कम 2 प्रतिशत कारपोरेट सोसल रेस्पांसबिलिटी (सी.एस.आर.) पालिसी में इंगित कार्यकलापों के सम्पादन में व्यय करना होगा। इसके लिए कारपोरेट सोसल रेस्पांसबिलिटी (सी.एस.आर.) फण्ड का गठन किया जायेगा।

5- प्रत्येक पात्र कम्पनी/ सार्वजनिक उपक्रम कारपोरेट सोसल रेस्पांसबिलिटी (सी.एस.आर.) का कार्य स्थापित इकाई के स्थानीय कार्य क्षेत्र में संचालित करने की वरीयता दी जायेगी।

6- प्रत्येक पात्र कम्पनी/ सार्वजनिक उपक्रम द्वारा कारपोरेट सोसल रेस्पांसबिलिटी (सी.एस. आर.) कार्य के विनियमन हेतु प्रख्यापित The Companies(Corporate Social Responsibility Policy) Rules, 2014 का अनुपालन किया जायेगा।

7- कारपोरेट सोसल रेस्पांसबिलिटी (सी.एस.आर.) फण्ड का प्रयोग मुख्यत: स्वास्थ्य, स्वच्छता, शिक्षा, स्त्री सशक्तीकरण, पर्यावरणीय संपोषण, ग्रामीण खेलकूद, ग्रामीण विकास की परियोजनाएं, स्लम क्षेत्र विकास इत्यादि के प्रयोजन में किया जायेगा। कार्यकलापों का विस्तृत विवरण कम्पनी एक्ट 2013 के अनुसूची-7, यथासंशोधित अधिसूचना दिनांक 27-02-2014, में इंगित है। (अनुलग्नक-1)

सी.एस.आर. के क्रियाकलापों के अनुश्रवण हेतु विभिन्न समितियों का गठन

सी.एस.आर. के कार्यकलापों हेतु एक ऐसे मंच की आवश्यकता है जिसके द्वारा समस्त हितधारकों द्वारा सी.एस.आर. फण्ड का उचित उपयोग, सी.एस.आर. के क्रियान्वयन में आने वाली कठिनाइयों व परियोजनाओं के चयन इत्यादि पर चर्चा हो सके। इस विषय को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने हेतु एवं इसके सफल अनुश्रवण हेतु राज्य व जिला स्तर पर ही समितियां बनायी जाये जिससे कि दानकर्ता कम्पनियों तथा हितधारको द्वारा किये जा रहे योगदान का सदुपयोग पारदर्शी तथा प्रभावी रूप से लक्षित उद्देश्य के लिए सुनिश्चित किया जा सके। इन समितियों के गठन से सी.एस.आर. से सम्बन्धित

Scanned with CamScanner

प्रकरणों पर समय से निर्णय लिया जा सकेगा जिससे उद्देश्यों की पूर्ति हेतु बेहतर वातावरण का सृजन हो सके।

अनुश्रवण समिति

प्रदेश स्तर पर कॉरपोरेट सोशल रेस्पांसबिलिटी (सी.एस.आर.) से सम्बन्धित समस्त नीतिगत निर्णय लेने तथा क्रियाकलापों के सुदृढ़ अनुश्रवण हेतु एक उच्च स्तरीय 'अनुश्रवण समिति' के गठन की आवश्यकता है, जो मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में निम्नवत किया जा रहा है:-

1.	मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन	अध्यक्ष
2.	अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।	सदस्य
3.	प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास, उत्तर प्रदेश शासन।	सदस्य
4.	प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।	सदस्य
5.	प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।	सदस्य
6.	प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।	सदस्य
7.	प्रमुख सचिव, लघु उद्योग विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।	सदस्य
8.	प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।	सदस्य
9.	प्रमुख सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।	सदस्य
10.	प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।	सदस्य
11.	प्रमुख सचिव, आवास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।	सदस्य
12.	प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।	सदस्य
13.	प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।	सदस्य
14.	प्रमुख सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।	सदस्य
15.	आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उत्तर प्रदेश।	सदस्य
16.	अपिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु।	सदस्य सयोजक

Scanned with CamScanner

बैठक में प्रस्तुत किये जाने वाले विषय के स्वरूप को देखते हुए उपरोक्त के अतिरिक्त यथावश्यकता राज्य स्तरीय प्रमुख उद्यमी संगठनों (यथा-सी.आई.आई.,आई.आई.ए., एसोचेम, पी.एच.डी. चैम्बर ऑफ कामर्स एवं फिक्की इत्यादि) को आमन्त्रित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त क्षेत्र विशेषज्ञों तथा अन्य विभाग के अधिकारियो को भी आवश्यकतानुसार आमंत्रित किया जायेगा। इसमें रू. 200 करोड़ के अधिक पूँजी निवेश करने वाले अथवा कई जिलों में स्थापित कम्पनियों के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया जायेगा।

बैठक प्रत्येक दो माह के अन्तराल पर आयोजित की जायेगी। आवश्यकता पड़ने पर अध्यक्ष के अनुमोदन से यह बैठक पूर्व में भी आयोजित की जा सकेगी।

समिति का कार्यक्षेत्र

- कारपोरेट सोशल रेस्पांसबिलिटी (सी.एस.आर.) फण्ड के प्रयोग हेतु नीतिगत निर्णय लेना।
- कारपोरेट सोसल रेस्पांसबिलिटी (सी.एस.आर.) फण्ड के प्रयोग हेतु कार्यकलापों/परियोजनाओं का चयन करना, आने वाली समस्याओं का समाधान करना।
- कारपोरेट सोसल रेस्पांसबिलिटी (सी.एस.आर.) में सामाजिक अवस्थापना सुविधाओं को उपलब्ध कराने हेतु अन्तर्विभागीय समन्वय स्थापित कर फल निश्चित करना।
- वार्षिक रूप से कारपोरेट सोसल रेस्पांसबिलिटी (सी.एस.आर.) फण्ड से हुए व्ययों तथा पात्र कम्पनियों के द्वारा दिये गये अंशदान आदि का अनुश्रवण करना।
- पात्र कम्पनियों को कारपोरेट सोसल रेस्पांसबिलिटी (सी.एस.आर.) कार्यों को संचालित करने का सुझाव देना, उनके क्रियान्वयन में आने वाली कठिनाईयों का निराकरण करना व अन्य सुविधाएं प्रदान करना।
- प्रदेश में आवश्यक परियोजनाओं के चिन्हिकरण हेतु समिति कम्पनी/ सार्वजनिक उपक्रम के अतिरिक्त प्रदेश की मुख्य एन.जी.ओ. से अथवा सम्बन्धित विभागों से भी प्राप्त प्रस्तावों पर विचार करना।
- कारपोरेट सोसल रेस्पांसबिलिटी (सी.एस.आर.) क्षेत्र एवं सुविधायें स्थापित करने से सम्बन्धित नीतियों, नियमों एवं अधिनियमों की समीक्षा कर उनके सरलीकरण एवं सुधार कराये जाने पर संस्तुति करना।
- परियोजनाओं का डाटा बेस का अनुश्रवण करना जिसके लिए फण्ड/ अतिरिक्त फण्ड की आवश्यकता है, जिसके माध्यम से कम्पनियाँ अपनी कारपोरेट सोसल रेस्पांसबिलिटी (सी.एस.आर.) के लिए किसी भी परियोजना का चयन हेतु सहायता ले सकती है।
- प्रदेश में आवश्यक परियोजनाओं के चिन्हिकरण हेतु समिति कम्पनी/ सार्वजनिक उपक्रमों/विभागों के अतिरिक्त जनपद स्थित मुख्य औद्योगिक संगठनों/एन.जी.ओ. से भी प्राप्त प्रस्तावों पर विचार कर निर्णय लिया जाना।
- प्रदेश के कारपोरेट सोसल रेस्पांसबिलिटी (सी.एस.आर.) एवं औद्योगीकरण के विषय में अन्य कोई बिन्दु।

Scanned with CamScanner

जनपद स्तरीय समिति

समस्त हितधारकों को सी.एस.आर. के कार्यकलापों की सही जानकारी प्रदान करने तथा उनकी समस्याओं के निराकरण इत्यादि हेतु जनपद स्तर पर एक समिति का गठन किया जाना आवश्यक है, जिससे कम्पनियों के योगदान का सदुपयोग पारदर्शी तथा प्रभावी रूप से लक्षित उद्देश्य के लिए सुनिश्चित किया जायेगा। इस मंच पर उन सभी परियोजनाओं का डाटा बेस बनाया जायेगा जिसके लिए फण्ड/ अतिरिक्त फण्ड की आवश्यकता है। इस डाटा बेस द्वारा कम्पनियाँ अपनी कारपोरेट सोसल रेस्पांसबिलिटी (सी.एस.आर.) के लिए किसी भी परियोजना का चयन हेतु सहायता ले सकती है। जनपद में आवश्यक परियोजनाओं के चिन्हिकरण हेतु समिति कम्पनी/ सार्वजनिक उपक्रम के अतिरिक्त जनपद स्थित मुख्य एन. जी.ओज से भी प्राप्त प्रस्तावों पर विचार किया जा सकता है।

जनपद स्तर पर कारपोरेट सोसल रेस्पांसबिलिटी (सी.एस.आर.) फण्ड व संचालित कियाकलापों के अनुश्रवण व सहायता हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जनपद स्तरीय समिति का गठन निम्नवत् है:-

1.	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2.	ऊर्जा विभाग के प्रतिनिधि	सदस्य
3.	नगर विकास विभाग के प्रतिनिधि	सदस्य
4.	समाज कल्याण विभाग के प्रतिनिधि	सदस्य
5.	आवास विभाग के प्रतिनिधि	सदस्य
6.	स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि	सदस्य
7.	स्थानीय उद्यमी संगठनों के प्रतिनिधि	सदस्य
8.	जनपद में स्थित प्रमुख एन.जी.ओ. के प्रतिनिधि	सदस्य
9.	प्रभारी जिला उद्योग केन्द्र (जनपद स्तरीय उद्योग बन्धु)	सदस्य सचिव/ संयोजक

जिलाधिकारी द्वारा जनपद के समाज के हित में/ विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत प्रमुख एन.जी.ओ. को चिन्हित कर उपरोक्त समिति हेतु सदस्य के रूप में नामित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त स्थानीय लब्ध प्रतिष्ठ संस्थायें (जैसे-आई.आई.टी., आई.आई.एम., मेडिकल कालेज आदि) के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया जा सकता है। बैठक में प्रस्तुत किये जाने वाले विषय के स्वरूप को देखते हुए उपरोक्त के अतिरिक्त

Scanned with CamScanner

अन्य विभाग के अधिकारियों अथवा जनपद के सम्बंधित व्यक्तियों को भी आवश्यकतानुसार समिति के अध्यक्ष द्वारा आमंत्रित किया जायेगा।

जनपद स्तरीय समिति की बैठक प्रत्येक माह आयोजित की जायेगी। आवश्यकता पड़ने पर अध्यक्ष के अनुमोदन से यह बैठक पूर्व में भी आयोजित की जा सकेगी।

समिति का कार्यक्षेत्र

- जनपद में कारपोरेट सोसल रेस्पांसबिलिटी (सी.एस.आर.) फण्ड का प्रयोग व सम्बन्धित विभागों की नीतियों मे लागू होने में आ रही कठिनाईयों का निराकरण करना।
- जनपद में कारपोरेट सोसल रेस्पांसबिलिटी (सी.एस.आर.) फण्ड का प्रयोग हेतु कार्यकलापों/परियोजनाओं का चयन करना, आने वाली समस्याओं का समाधान करना तथा आवश्यक हो तो इस हेतु नीतिगत निर्णय लेना।
- जनपद में कारपोरेट सोसल रेस्पांसबिलिटी (सी.एस.आर.) मे सामाजिक अवस्थापना सुविधाओं को उपलब्ध कराने हेतु अन्तर्विभागीय समन्वय स्थापित कर मत निश्चित करना।
- जनपद में पात्र कम्पनियों को कारपोरेट सोसल रेस्पांसबिलिटी (सी.एस.आर.) कार्यों को संचालित करने का सुझाव देना, उनके कियान्वयन में आनी वाली कठिनाईयों का निराकरण करना व अन्य सुविधाएं प्रदान करना।
- जनपद में औद्योगिक संगठनों एवं सामाजिक संगठनों के साथ बैठक कर कारपोरेट सोसल रेस्पांसबिलिटी (सी.एस.आर.) के सम्बंध में अवगत कराना एवं कारपोरेट सोसल रेस्पांसबिलिटी (सी.एस.आर.) क्षेत्र की आवश्यकता को देखते हुए पात्र कम्पनियों से विचार विमर्श कर प्रेरित करना।
- जनपद में कारपोरेट सोसल रेस्पांसबिलिटी (सी.एस.आर.) की परियोजनाओं के कियान्वयन का अनुश्रवण व यथावश्यकता सहायता उपलब्ध कराना।
- सभी परियोजनाओं का डाटा बेस बनाना जिसके लिए फण्ड/ अतिरिक्त फण्ड की आवश्यकता है। इस डाटा बैस द्वारा कम्पनियां अपनी कारपोरेट सोसल रेस्पांसबिलिटी (सी.एस.आर.) के लिए किसी भी परियोजना का चयन हेतु सहायता ले सकती है।
- जनपद में आवश्यक परियोजनाओं के चिन्हिकरण हेतु समिति कम्पनी/ सार्वजनिक उपक्रमों/विभागों के अतिरिक्त जनपद स्थित मुख्य औद्योगिक संगठनों/एन.जी.ओ. से भी प्राप्त प्रस्तावों पर विचार करना।
- जनपद में औद्योगीकरण व कारपोरेट सोसल रेस्पांसबिलिटी (सी.एस.आर.) के विषय में अन्य कोई बिन्दु।

नोडल अभिकरण

प्रदेश स्तर पर कारपोरेट सोसल रेस्पांसबिलिटी (सी.एस.आर.) के कियाकलापों व फण्ड के संचालन हेतु उद्योग बन्धु को नोडल अभिकरण नामित किया जा रहा है।

Scanned with CamScanner

नोडल अभिकरण का कार्यक्षेत्र / कार्य प्रणाली

- कारपोरेट सोसल रेस्पांसबिलिटी (सी.एस.आर.) हेतु परियोजनाओं को चिन्हित करना एवं सम्बन्धित क्षेत्र में कार्य आवण्टित कराये जाने हेतु जनपद स्तरीय समिति से समन्वय स्थापित करना।
- जनपद स्तरीय समिति व अन्य समितियों से समन्वय स्थापित करना व अनुश्रवण करना तथा मानीटरिंग कमेटी को अपडेट करना।
- अनुश्रवण समिति की बैठक नियमित रूप से आयोजित करना।
- जो कम्पनी/ सार्वजनिक उपक्रम जिसके पूंजी निवेश प्रदेश में रू. 200 करोड़ या अधिक हो एवं जिनकी इकाइयों एक से अधिक जनपदों में स्थापित हो, उनके प्रस्ताव प्राप्त कर उनका परीक्षण कर समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना।
- प्रदेश में आवश्यक परियोजनाओं के चिन्हिकरण हेतु प्रदेश की मुख्य एन.जी.ओ., सम्बन्धित विभागों से अथवा कम्पनी/ सार्वजनिक उपक्रमों से प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण कर अनुश्रवण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना।
- उद्योग बन्धु के अन्तर्गत एक अलग से प्रकोष्ठ का गठन किया जायेगा जिसके द्वारा कारपोरेट सोसल रेस्पांसबिलिटी (सी.एस.आर.) की परियोजनाओं के क्रियान्वयन का अनुश्रवण क्षेत्र विशेष के विशेषज्ञों के सहयोग से किया जायेगा। इस प्रकोष्ठ में लेखा एवं वित्त के अधिकारी एवं कर्मचारी भी होंगे।

अनुरोध है कि कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आलोक रंजन)
मुख्य सचिव

संख्या व दिनांक तदैव।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ.प्र. शासन।
2. महानिदेशक, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, उ.प्र. लखनऊ
3. प्रबन्ध निदेशक, पिकप, पिकप भवन, गोमतीनगर, लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. राज्य औद्योगिक विकास निगम, कानपुर।
5. प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. वित्तीय निगम, कानपुर।

Scanned with CamScanner

6. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त शाखा के समस्त अधिकारी।

7. अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, लखनऊ।

8. समस्त उपायुक्त, जिला उद्योग केन्द्र।

9. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोयडा/ग्रेटर नोयडा/गीडा/बीडा/सीडा/लीडा।

10. औद्योगिक विकास विभाग के शाखा के समस्त अनुभाग।

11. गार्ड फाइल/अनुभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(कंचन वर्मा)
विशेष सचिव

Scanned with CamScanner